पत्रांकः– वन भूमि–56 / 2019...................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

कमलजीत सिंह,
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक..........................

विषय :– गया जिलान्तर्गत तिलैया–ढाढर अपसरण योजना के तहत पाण्डेय बिगहा वितरणी निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.7692 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या–C/F17053/54-2485R के अंतर्गत ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना निर्माण में 0.7692 हे० वनभूमि का अपयोजन तथा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व शून्य अंकित किया गया है।

प्रासंगिक पत्र में अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल– 0.7692 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 1.5384 हे0 अर्थात 1.6 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, गया के गुरपा प्रक्षेत्र अन्तर्गत टेलहेटा PF को चिन्हित करते हुए कुल–14,69,595 / – (चौदह लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पंचानवे रूपये) मात्र के राशि का वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त है, जो संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव का क्रमशः पार्ट–1, पार्ट–2, वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन, टोपो सीट एवं NPV Under Taking प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.7692 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,81,519/–(चार लाख ईक्कासी हजार पाँच सौ उन्नीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 0.7692 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलन्तर्गत 1.6 हे० अवकृष्ट वन भूमि टेलहेटा सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 14,69,595/– (चौदह लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पंचानवे रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंस द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–56/2019....................../ प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–56/2019 1400(ई०)/ प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 03/10/19
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

(कमलजीत सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव